फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री प्रहलाद स्वर्णकार निवासी सदर बाजार, कुरज, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – प्रत्यर्थी

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 04/2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 09.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1( )सू0अ0,05/2026/61 दिनांक 03.02.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये ऑनलाईन पोर्टल से दिनांक 17.01.2026 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 19.01.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर ग्राम पंचायत, कुरज की होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 49–50 दिनांक 27.01.2026 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में ग्राम विकास अधिकारी, कुरज, पंचायत समिति रेलमगरा, जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर ग्राम पंचायत कुरज, पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द की होने से अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना ग्राम पंचायत, कुरज की होने तथा इस संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पत्रांक 49–50 दिनांक 27.01.2026 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में ग्राम विकास अधिकारी, कुरज, पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द को जरिये रजिस्टर्ड डाक अन्तरण करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित किया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी से नहीं होकर अन्य विभाग/कार्यालय से संबंधित होने तथा इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन संबंधित विभाग ग्राम पंचायत कुरज पंचायत समिति राजसमन्द को अन्तरण कर दिया जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना हेतु संबंधित लोक सूचना अधिकारी के यहॉ नियमानुसार आवदेन/अपील प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)